न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लक्ष्मी लाल आत्मज श्री शंकर लाल जी विश्नोई आयू 50 वर्ष निवासी जवाहर नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. दयाराम आत्मज श्री शंकर लाल जी विश्नोई आयू 45 वर्ष निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. धीसी पत्नी रामलाल जी पुत्री श्री शंकर लाल जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. अणछी पत्नी बंशीलाल जी पुत्री श्री शंकर लाल जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी जुना समेलिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सोहनी पत्नी बालूराम जी पुत्री श्री शंकर लाल जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर आत्मज श्री छीतर जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी नया समेलिया हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. जगदीश आत्मज श्री गोर्वधन जी विश्नोई नया समेलिया, हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. सुरेश आत्मज श्री तुलसी राम जी विश्नोई नया समेलिया, हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. छीतर आत्मज मोहन जी विश्नोई आयू 60 वर्ष निवासी नया समेलिया, हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. गोर्वधन आत्मज मोहन जी जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी नया समेलिया, हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. तुलसीराम आत्मज श्री मोहन जी विश्नोई आयू वयस्क निवासी नया समेलिया, हरणी महादेव के पास, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा तह० व जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा० का० अधि०</u>

उपस्थिति–

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
2. श्री मांगीलाल सेन अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 6/6/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच द्वारा दिनांक 28.12.2020 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 02/2021 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 कमशः विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 के पुत्र हैं तथा प्रार्थीगण स्व० श्री शंकर लाल आत्मज भोला जी के विधिक वारिसान हैं।

ग्राम दरीबा पटवार हल्का दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 के संयुक्त शामलाती आराजी सं० 2120 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजड़ स्थित थी।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी सं० 2120 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा के खातेदार विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 थे, जिन्होंने दिनांक 03–12–1980 को तत्कालिन प्रचलित दर तादादी 1,000/– अक्षरें एक हजार रू० में प्रार्थीगण के स्व० पिता जी श्री शंकर लाल आत्मज श्री भोला जी विश्नोई निवासी दरीबा को जरिये रजि० विक्रय विलेख से वादग्रस्त भूमि विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा प्रार्थीगण के स्व० पिताजी श्री शंकर लाल जी विश्नोई को सिपूर्द किया गया तथा स्व० श्री शंकर लाल जी का देहावसान आज से करीबन 25–30 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहावसान तक उनका कब्जा काश्त खरीद करने से तथा उनके देहावसान के बाद से ही उनके स्थान पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बतौर शंकर लाल जी विश्नोई के वारिसान बदस्तूर चला आ रहा हैं। तथा उक्त आराजी को खरीद करने के बाद किस्म बंजड से आबादान करके काफी श्रम व रूपयें व्यय कर उपजाउ बनाया तथा वर्तमान में फसल काश्त की जा रही हैं।

भूमि क्रय करने के समय उक्त आराजी की किस्म बंजड़ थी इस कारण स्व० श्री शंकर लाल जी द्वारा खरीद करने के बाद उक्त आराजी को काफी श्रम व लागत लगा कर आबादान किया। वक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रेता श्री तुलसीराम जी की आयु 16 वर्ष की नाबालिग होने से जरिये माता बबिलायत माता मु० नन्दु बेवा मोहन विश्नोई द्वारा नाबालिग पुत्र तुलसीराम की तरफ से विक्रय विलेख को रजिस्टर्ड करवाया गया।

उक्त रजि० विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकार्ड में खरीददार स्व० श्री शंकर लाल जी के नाम रद्दोबदल कराने हेतु पटवार हल्का द्वारा नामान्तरणकरण सं0 337 भरा गया, लेकिन गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता तुलसीराम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में नाबालिग दर्ज नहीं होने के कारण उनकी माता मु० नन्दु द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करना व नन्दु के हस्ताक्षर निशानी होने का कथन दर्ज किया गया, जिस पर तहसीलदार सा० द्वारा उक्त नामान्तरणकरण सं० 337 को " गिरदावर सा० की रिपोर्ट हल्का स्पष्ट हैं कि सभी खातेदारान् की सहमति होना अनिवार्य हैं जो इसमें नहीं हैं। अतः खारीज किया जाता हैं। उक्त आदेश का उल्लेख कर नामान्तरणकरण सं0 337 को खारीज फरमा दिया गया। लेकिन मौके पर कब्जा खरीददार श्री शंकर लाल जी का एंव खरीददार स्व० श्री शंकर लाल जी के देहावासान के बाद से ही वर्ष 1995 के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण का आज दिन तक बतौर वारिसान चला आ रहा हैं। किन्तू राजस्व रेकार्ड में विकेताओं विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 के नाम पर ही उक्त आराजी सं0 2120 राजस्व रॅकार्ड में संवत 2067 तक दर्ज चली आ रही थी।

चुंकि उपर वर्णित तकनिकी आधार पर नामान्तरणकरण खरीददार के नाम फैसल नही हो पानें के कारण विक्रेताओ के नाम पर दर्ज रहने के कारण विक्रेताओं प्रतिवादीगण सं० 04 लगायत 06 के मन में बदनीयती आ जाने के कारण उन्होंने उक्त आराजी को वर्ष 2013 में उक्त आराजी अपने पुत्रों के नाम पर खाम व बोगस दिखावटी विक्रय कर दिये जाने से विकय पत्र के आधार पर संवत 2067 में नामान्तरणकरण सं० 1682 फैसल दिनांक 05–08–2013 को प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 03 के नाम पर कर दी गयी। इस प्रकार उक्त आराजी सं0 2120 वर्तमान में विपक्षीगण 04 लगायत 6 से विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी।

विपक्षीगण सं0 04 लगायत 06 द्वारा उक्त किये गये दिखावटी खाम व बोगस विकय पत्र से विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 जो कि उनके पुत्र हैं के नाम किया गया हैं जो प्रारम्भ शुन्य एब ईनिशियों वाईड हों अवैध हैं, क्योकि एक बार जब आराजी निजाई को विक्रय कर दी गयी तो आराजी निजाई को पुनः दोबारा विकय नहीं की जा सकती हैं। साथ ही विक्रय के लिये कब्जा सुपुर्द किया जाना अति लाजमी होता हैं जबकि कब्जा काश्त पूर्व खरीददार स्व० श्री शंकर लाल जी विश्नोई का रहा और उनके देहावसान के बाद उनके वारिसान वादीगण का कायम हैं तो विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 द्वारा विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 को कोई कब्जा ही सुपुर्द नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 को अपने ही पुत्रों को विक्रय करने की क्या आवश्यकता हुई। सर्वप्रथम ही अपने ही पुत्रो को विक्रय करना उनकी बदनीयती को ही दर्शित करता हैं। उक्त विक्रय पत्र केवल मात्र खाम बोगस एंव दिखावटी विकय पत्र होकर बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित किया गया हैं। विकय दिनांक को विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार ही नहीं थे। इस प्रकार विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 द्वारा किया गया उपरोक्त विक्रय पत्र प्रारभतः ही शुन्य एबईनिशियो वोईड हैं, और वोईड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की आवश्यकता नही हैं। हॉलाकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के स्व० पिता जी स्व० श्री शंकर लाल जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हों सकी, रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज इन्द्राजात केवल फिस्कल पर्पज के

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

लिये होते हैं। उक्त इन्द्राजात के आधार पर टाईटल तय नही हो सकता हैं। म्यूटेशन की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है। वैसे भी नामान्तरणकरण में वर्णितानुसार विकेता खातेदारान् विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 की सहमति नही ली गयी अर्थात नामान्तरणकरण की कार्यवाही में उन्हें तलब नहीं किया गया। और यदि दौरानें नामान्तरणकरण की कार्यवाही इंकार कर देते तो उनकी असहमती का उल्लेख किया जाता लेकिन विक्रेताओं को नामान्तरणकरण की कार्यवाही के समय तलब ही नहीं किया गया। इस प्रकार तकनीकी आधार पर नामान्तकरण तहसीलदार सा० भीलवाड़ा द्वारा खारीज फरमाया गया। अलावा इसके तीन विक्रेताओं में से एक विकेता के बाबत् आपत्ती हो सकती हैं कि वह नाबालिग नही होते हुवें भी उसके हक हिस्से का विक्रय उसके संरक्षक माता बबिलायत के जरिये कर दिया गया जबकि अन्य दों खातेंदरान् विक्रेताओं के हक व हिस्सें की आराजी को तो रजि० विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय मानी जा कर वादीगण के पिता स्व० श्री शंकर लाल जी के नाम नामान्तरणकरण फैसल कर दिया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त आराजी का रजि० विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय हो जाने के बाद विक्रेताओं की सहमती की कोई आवश्यकता कानूनन नहीं होती हैं। उनकी सहमती रजि० विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराने से स्पष्ट होती हैं कि वो अपनी आराजी को विक्रय कर रहें और विक्रय के आधार पर नामान्तरणकरण फैसल होना कानूनन आवश्यक हैं, फिर भी श्री मान् तहसीलदार सा० द्वारा विधि विरूद्ध एंव अवैध तौर नामान्तरणकरण सं० 337 को खारीज फरमा दिया गया। तथा विक्रेताओं द्वारा विक्रय के बाबत लिखित में भी कोई उजर अथवा ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससें कि उनकी सहमति या असहमति के बाबत् अवधारणा की जा सकें ।

विपक्षीगण सं0 04 लगायत 06 द्वारा अपने पुत्रों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर जरिये विक्रय पत्र से विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 के मन में फितूर आ गया और अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में बाधा व व्यवधान उत्पन्न करने लग गयें हैं। जबकि विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य एब ईनिशियों वाईड हैं। विक्रय दिनांक को विपक्षीगण सं० 04 लगायत 06 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार ही नहीं थे। और उनका कोई कब्जा काश्त भी उक्त विक्रयशुदा आराजी पर नही था। लेकिन उक्त अवैध विकय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हो जाने के कारण दिनांक 05–12–2020 को मौके पर आ कर प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज होने का कथन करते हुवें कब्जा छोडने हेतू कहा गया तो प्रार्थीगण ने उनके पिता जी द्वारा खरीद करने का कथन किया व दिनांक 03–12–1980 से कब्जा होने का कथन किया तो विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 आमादा फिसाद हुवें। जिसका प्रार्थीगण ने विरोध किया तो विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 तत्समय चले गये लेकिन जाते जाते यह धमकी दे कर गये कि आराजी सं0 2120 उनके नाम पर हाने से उक्त आराजी का जबरन शक्तिबल सें कब्जा ले कर रहेगे। तथा यह भी धमकी दी कि उक्त आराजी को वो भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति को विक्रय कर देगे ताकि वह शक्तिशाली व्यक्ति लाठी के बल से कब्जा छीन लेगा। इस प्रकार विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 का नाम राजस्व रेकार्ड में अवैध व शुन्य विक्रय पत्र से दर्ज हो जाने के कारण वो प्रार्थीगण को जबरन् शक्ति के बल से अवैध तौर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बेदखल करना चाहते हैं। विपक्षीगण सं० 01 लगायत 03 के उक्त धमकी के बाद प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में उनके नाम पर ही नहीं हैं। तथा जब तक वादीगण के पिताजी के देहावसान के बाद पुरानें रेकार्ड को देखने से उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी वादीगण को हुई। इस कारण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक हो गया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का जाहिरा प्रथम दृष्टया प्रकरण हैं तथा रजि0 विकय पत्र से प्रार्थीगण के पिताजी काबिज हुवें और उनके देहावसान के बाद प्रार्थीगण बतौर वारिसान काबिज चले आ रहें हैं। मौके पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज होने से सूविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। यदि वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि कब्जें के अभाव में विपक्षीगण को कोई क्षति होने की संभावना कतई नही हैं।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद के निस्तारण तक ग्राम दरीबा में स्थित आराजी सं0 2120 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण पारित फरमायी जावें कि वादग्रस्त आराजी सं0 2021 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा ग्राम दरीबा में प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें व प्रार्थीगण को आराजी निजाई सें बेदखल नहीं करें तथा विपक्षीगण उक्त आराजी को रहन विकय बय बक्षीस कर कब्जा अन्तरित नहीं करें। वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम फरमायी जावें।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से मूल वाद संख्या में वकालतनामा दिनांक 29.01.2021 को पेश किये जाने के उपरान्त से 4 वर्ष से अधिक समय दिये जाने से जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 26.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का जवाब बंद किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली का अंतिम निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र का गुणवतापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता/पति द्वारा दिनांक 03.12.1980 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 से कय की गई थी और पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर उनके पक्ष में नामान्तरण संख्या 337 निर्णय दिनांक 01.03.1982 दर्ज किया गया था। जिसे तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा भूअभिलेख निरीक्षक पुर की रिपोर्ट "खातेदार श्री छीतर, गोवर्धन, तुलसीराम पिता मोहन विश्नोई तीनों का सम्मेलित खाता है, किन्तु बिकाव करने वाले केवल छीतर, गोवर्धन तथा तुलसीराम की माता नन्दु है, जबकि तुलसीराम रिकॉर्ड में नाबालिग अंकित नहीं है। अतः विकय पत्र में उक्त तीनों खातेदारान का नाम अंकित होकर तीनों के हस्ताक्षर होने पर ही रद्दोबल होना चाहिए। उक्त तीनों बिकाव करने वाले सम्मेलित रहते है। अतः तीनों खातेदारों को इस संबंध में पूर्ण पुछताछ करने के पश्चात् नामान्तरण फैसल होना अनिवार्य है" के आधार पर तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा सभी खातेदारान की सहमति होना अनिवार्य होने एवं सहमत नहीं होने से नामान्तरण खारिज किये जाने का निर्णय किया गया, जो तकनिकी रूप से गलत है, क्योंकि पंजीकृत विकय विलेख में सबरजिस्टार के समक्ष विकेतागण द्वारा भूमि का बिकाव किये जाने की सहमति प्रदान कर दी गई थी। उसके उपरान्त किसी प्रकार की सहमति प्राप्त किये जाने का कोई नियम नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा नामान्तरण को खारिज किया जाना युक्तियुक्त नहीं है। अतः प्रार्थीगण पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर केता होने से अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के पंजीकृत केता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति** – प्रकरण में पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु उक्त दोनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने पुत्र कमशः 1 लगायत 3 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विकय विलेख की भूमि का बेचान कर दिया गया और उक्त पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 1682 निर्णय दिनांक 05.08.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गई है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित कर दी जाती है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होगे और इसी मंशा से अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पूर्व में पंजीकृत विकय पत्र से बेचान किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में बदनियति से बेचान कर दिया गया है और इसी बदनियति को निरन्तर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के द्वारा अपने पुत्र कमशः 1 लगायत 3 से भूमि का बिकाव किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में कर दिया जाता है तो अनावश्यक वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण संभावना रहेगी। अतः अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के पूर्व कृत्यों से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा ऐसे फर्जी बिकाव किया जा सकता है। इसे रोकने हेतु न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल होते है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बिकाव कर दिये जाने एवं पूर्व के बिकाव के उपरान्त पुनः वादग्रस्त भूमि का अपने पुत्रों के पक्ष में बिकाव किया जाना, यह प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीगण भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बिकाव करने का कार्य कर सकते है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहे है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दरीबा की वादग्रस्त आराजी संख्या 2120 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

6.1.25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा